कृषि विधि निरसन अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 40)

[30 नवम्बर, 2021]

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020, आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 का निरसन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कृषि विधि निरसन अधिनियम, 2021 है। संक्षिप्त नाम।

2. कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 का निरसन किया जाता है। 2020 के अधिनियम, सं॰ 20, 2020 के अधिनियम, सं॰ 21 और 2020 के अधिनियम सं॰ 22 का निरसन।

3. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1क) का लोप किया जाएगा। 1955 के अधिनियम सं. 10 का संशोधन।

———————